संख्या–2733/62–3–2010–89डब्लू/2005

प्रेषक,

एन0एस0 रवि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अधीक्षण अभियंता**
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।
2. **समस्त अधिशासी अभियंता,**
ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, अनुभाग–3 लखनऊः दिनांक 19 अगस्त, 2010

विषय :– प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष कार्य की एक मुश्त निविदा आमंत्रित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि जनपद स्तर पर स्वीकृत कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त होने के बाद भी पूरे कार्य की निविदा आमंत्रित करने के बजाय मात्र उतनी ही धनराशि की निविदा आमंत्रित की जा रही है जितनी धनराशि तत्समय प्रखण्ड को अवमुक्त की गयी है। इस स्थिति से कार्य विशेष के पूर्ण होने में अनावश्यक विलम्ब की स्थिति उत्पन्न होती है फलस्वरूप कार्य की टाइम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

2– अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि किसी भी कार्य की सक्षम स्तर से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत होने के उपरान्त सम्बन्धित कार्य की निविदा एक बार में ही आमंत्रित करते हुए निर्धारित समय सारणी के अन्तर्गत कार्यों का सम्पादन सुनिश्चित किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि कार्य के सम्पादन में निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि के सापेक्ष कार्य सम्पादित कराया जाय ताकि किसी प्रकार से व्ययाधिक्य की स्थिति उत्पन्न न हो एवं वित्तीय देनदारियॉं सृजित न हों।

कृपया उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,
(एन0एस0 रवि)
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1)/62–3–2010तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 लखनऊ।
4– मुख्य अभियंता, (पूर्वी/पश्चिमी क्षेत्र) ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5– वित्त नियंत्रक, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, उ0प्र0 लखनऊ।
6– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शहजादे लाल) 19/8/10
संयुक्त सचिव।